न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसिया ,
सीन अधिकारी – रतनलाल रेगर आर.ए.एस.
ना पत्र संख्या – 121 / 2013
f:–

1 लालाराम पुत्र श्री मगाराम
जाति जाट निवासी नारीनाडी चान्द्रख
तहसील बावडी जिला जोधपुर ।

–: ब ना म :–

र्थीगण :–

1 सताराम पुत्र श्री तुलछाराम
2 केसाराम पुत्र श्री तुलछाराम
3 चैनाराम पुत्र श्री तुलछाराम
4 गिरधारीराम पुत्र श्री तुलछाराम
5 यारी पत्नि श्री तुलछाराम
6 खुमाराम पुत्र श्री हुकमाराम
7 भोमाराम पुत्र श्री हुकमाराम
8 भगाराम पुत्र श्री आदुराम
9 जसमन्ती पत्नि श्री बगताराम
10 केहराराम पुत्र श्री दीपाराम
जाति जाट निवासी नारीनाडी
तहसील बावडी जिला जोधपुर ।

ास्थित

1 श्री रामप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2 श्री चन्दनसिंह भाटी अप्रार्थीगण की ओर से ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए, आर.टी.एक्ट.

– निर्णय – **दिंनाक** – 1-10-15

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य ... र है कि प्रार्थी ने प्रपत्र
प्रामि प्रार्थना पत्र पेश किया कि ... मे स्थित खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:35:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

बर 226 रकबा 17 बीघा 16 बीस्वा भूमि प्रार्थी के नाम से खातेदारी व ब्जा काश्त सुदा आई हुई है। चालु जमाबन्दी की नकल साथ मे पेश की है ग नजरी नक्शा साथ मे पेश किया है। उपरोक्त वर्णित खसरा की भूमि के श्चिम दिशा की तरफ खसरा नम्बर 237 रकबा 11 बीघा 06 बीस्वा व उसके गे 227 रकबा 68 बीघा 10 बीस्वा भूमि अप्रार्थीगण के नाम की खातेदारी ो व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है । अप्रार्थीगण की भूमि के पश्चिम दिशा ; कणे पर एक कदीमी रास्ता आया हुआ है । अप्रार्थीगण के खातेदारी की ालु जमाबन्दी की नकल साथ मे पेश है । उपरोक्त वर्णित प्रार्थी के ब्रातेदारी की भूमि मे आने जाने हेतू अप्रार्थीगण की भूमि मे से कदीमी रास्ता ालता है जो खसरा नम्बर 237 व 227 की भूमि मे चल रहे रास्ते से आगे नाता है । जिसे नजरी नक्शे मे दर्शाया गया है । उक्त रास्ता तय करने एवं ाजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज करवाने हेतू यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है । ार्थी को उक्त रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि के अन्दर प्रार्थी की भूमि तक तय केया जाकर राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज किया जावे ।

प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिश जारी किये गये ,बाद तामील अप्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता द्वारा वकालात नामा पेश किया गया । अप्रार्थीगण को जबाब हेतु कई अवसर देने के बाद भी कोई जबाब प्रस्तुत नही करने पर जबाब बन्द किया गया । हल्का पटवारी व आर.आई. से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर सामिल मिसल की गई की प्रार्थी व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई व पत्रावली व आर. आई. रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया न्यायहित मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आशिक स्वीकार किया जाता है ।

प्रार्थी के आने जाने हेतू रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 237 मे से नजरी नक्शे मे दर्शाए गये लाल रंग से मार्क **ए** से **बी** तक रास्ता स्वीकृत करने से उक्त खसरे के दो भाग हो जाते है इसलिए आर आई मौका रिपोर्ट मे दर्शाए मार्क **सी** से **बी** के अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है मार्क ए से बी व डी से ई अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थी से नियामनुसार डी. एल. सी. की दर का दो गुना प्रतिकर की राशि का भुगतान करवाया जाकर राजस्व रेकर्ड व लठ्ठा ट्रेश मे आर.आई. रिपोर्ट के अनुसार मार्क **सी** से **बी** रास्ता

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:35:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, जोशिया

Scanned by CamScanner

का अमल दरामद किया जावे । सम्बन्धित तहसीलदार को तहरीर जारी की जावे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो ।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

आदेश आज दिनांक 17-07-19 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलेक्टर ,ओसिया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:35:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner